रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082020-221347 CG-DL-E-26082020-221347

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2539]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

No. 2539]

श्रम और रोगजार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

का.आ. 2866(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ऐल्युमिना और एल्युमिनियम का विनिर्माण तथा बाक्साइट का उत्खनन में लगे उद्योगों की क्रमशः ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 30 और 31 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित की जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतत: भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 353(अ), तारीख 24 जनवरी, 2020 द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2020 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योगों की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों की सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2011-आईआर (पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

3905 GI/2020 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

S.O. 2866(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industries engaged in manufacturing of Alumina and Aluminium and mining of Bauxite, which are covered under item 30 and 31, respectively, of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months from the 24th January, 2020 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 353 (E), dated the 24th January, 2020;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industries for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industries to be a public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[No. S-11017/2/2011-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.